न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 75/2019

निर्णय दिनांकः– 19.03.2021

उनवान

1. खुशीराम पुत्र पोखर उर्फ पुष्कर जाति जाट निवासी बोसरिया तहसील उनियारा जिला टोंक
2. युवराज पुत्र पोखर उर्फ पुष्कर जाति जाट निवासी बोसरिया तहसील उनियारा जिला टोंक
3. रामगोपाल पुत्र पोखर उर्फ पुष्कर जाति जाट निवासी बोसरिया तहसील उनियारा जिला टोंक
4. मु0 तुलसा पत्नी पोखर उर्फ पुष्कर जाति जाट निवासी बोसरिया तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) – प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री प्रेम चन्द जैन वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीगणं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 182 ख0न0 156/1.85, 193/1.05, 212/0.65, 213/0.02, 24/0.64, 2147/0.57, 223/1.05 कुल किता 7 कुल रकबा 5.83 है. वाके ग्राम बोसरिया, खाता संख्या 21 ख0न0 170/0.31, 172/0.16, 174/1.50 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.97है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा एवं खाता संख्या 29 ख0न0 287/138 रकबा 2.10 है0 वाके ग्राम बिसनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है।

प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता एवं प्रार्थीया संख्या 4 के पति का नाम सही एव वास्तविक नाम पोखर उर्फ पुष्करसिंह है। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता एवं प्रार्थीया संख्या 4 के पति का नाम सही एवं वास्तविक नाम पोखर उर्फ पुष्करसिंह अंकित है। परन्तु उपरोक्त वर्णित आराजीयात में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता एवं प्रार्थीया संख्या 4 के पति का नाम नाम पोखर लाल दर्ज हो जिससे प्रार्थीगण के गलत दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीगण को उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विकय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्राथीगण की अधियाचना है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीय खाता संख्या 182 ख0न0 156/1.85, 193/1.05, 212/0.65, 213/0.02, 24/0.64, 2147/0.57, 223/1.05 कुल किता 7 कुल रकबा 5.83 है. वाके ग्राम बोसरिया, खाता संख्या 21 ख0न0 170/0.31, 172/0.16, 174/1.50 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.97 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा एवं खाता संख्या 29 ख0न0 287/138 रकबा 2.10 है0 वाके ग्राम बिसनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में **प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता एवं प्रार्थीया संख्या 4 के पति का नाम** पोखरलाल के स्थान पर **पोखर उर्फ पुष्करसिंह** अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम खाता संख्या 182 ख0न0 156/1.85, 193/1.05, 212/0.65, 213/0.02, 24/0.64, 2147/0.57, 223/1.05 कुल किता 7 कुल रकबा 5.83 है. वाके ग्राम बोसरिया, खाता संख्या 21 ख0न0 170/0.31, 172/0.16, 174/1.50 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.97है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा एवं खाता संख्या 29 ख0न0 287/138 रकबा 2.10 है0 वाके ग्राम बिसनपुरा प्रार्थीगण के नाम रेकार्ड दर्ज है। खाता सं0 182, 21, व 29 में **प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता एवं प्रार्थीया संख्या 4 के पति का नाम पोखरलाल के स्थान पर पोखर उर्फ पुष्करसिंह** दर्ज करने पर हमें कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 182 ख0न0 156/1.85, 193/1.05, 212/0.65, 213/0.02, 24/0.64, 2147/0.57, 223/1.05 कुल किता 7 कुल रकबा 5.83 है. वाके ग्राम बोसरिया,एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 21 ख0न0 170/0.31, 172/0.16, 174/1.50 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.97है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तथा नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 29 ख0न0 287/138 रकबा 2.10 है0 वाके ग्राम बिसनपुरा तहसील उनियारा में प्रार्थीगण खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशनकार्ड में **प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता एवं प्रार्थीया संख्या 4 के पति का नाम पोखरलाल के स्थान पर पोखर उर्फ पुष्करसिंह हैं।** तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी के खाता सं0 182, 21, व 29 में **प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता एवं प्रार्थीया संख्या 4 के पति का नाम पोखरलाल के स्थान पर पोखर उर्फ पुष्करसिंह** दर्ज करने पर हमें कोई आपत्ति नही है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह खाता संख्या 182 ख0न0 156/1.85, 193/1.05, 212/0.65, 213/0.02, 24/0.64, 2147/0.57, 223/1.05 कुल किता 7 कुल रकबा 5.83 है. वाके ग्राम बोसरिया, खाता संख्या 21 ख0न0 170/0.31, 172/0.16, 174/1.50 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.97है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा एवं खाता संख्या 29 ख0न0 287/138 रकबा 2.10 है0 वाके ग्राम बिसनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में दर्ज **प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता एवं प्रार्थीया संख्या 4 के पति का नाम पोखरलाल के स्थान पर पोखर उर्फ पुष्करसिंह** दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था व किसी व्यक्ति का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित को सूचित करने के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ।

यह निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

s.136.120